न्यासी बोर्ड अतिआवश्यक

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. 15(7)आर.पी.एम.एफ./2010 4376-4410 दिनांक 29.06.2012

समस्त कोषाधिकारी,

विषयः— राज्य पेंशनर्स को नई मेडिकल डायरियां जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत पेंशनर्स की मेडिकल डायरियों के दुरूपयोग एवं फर्जी भुगतान की रोकथाम के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार पेंशनर्स की सितम्बर 2012, से पुरानी मेडिकल डायरियों के स्थान पर नई मेडिकल डायरियां जारी की जानी है। राज्य सरकार ने वर्ष 2012–13 से मेडिकल डायरी के नवीनीकरण शुल्क एवं डायरी की कीमत नहीं लिये जाने का निर्णय लिया है।

नई मेडिकल जारी करने से पूर्व पेशंनर्स से संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचना/विवरण सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा एक जुलाई 2012 से प्राप्त किया जाना है। निर्धारित प्रपत्र पेंशन विभाग की वेबसाईट **www.rajpension.nic.in** पर भी उपलब्ध है। निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त सूचना का एन.आई.सी द्वारा तैयार Databse से मिलान कर लिया जाये। यदि पेंशनर्स से प्राप्त विवरण (पेंशनर का नाम एवं पीपीओ न0 के अलावा) एवं एन.आई.सी द्वारा तैयार Databse में कोई संशोधन /परिवर्तन आवश्यक हो तो कर लिया जाये। इस प्रकार तैयार Databse का प्रिन्ट NIC द्वारा Designed Adhesive Sheet पर लेकर एवं पेंशनर का संयुक्त फोटो ग्राफ को पेंशनर मेडिकल डायरी के प्रथम पृष्ट पर चिपका दिया जावे। मेडिकल डायरी में चिपकाये गये उक्त विवरण एवं पेशंनर के संयुक्त फोटोग्राफ को कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा। 01 सितम्बर, 2012 से नई मेडिकल डायरियां जारी किया जाना आरम्भ कर दिया जावें। नई मेडिकल डायरी के तैयार होने का **SMS** पेंशनर को उनके मोबाईल पर कर दिया जावे। इससे पूर्व में यदि पेशंनर की पूरानी उपलब्ध मेडिकल डायरी पूर्णरूप से भर गई हो अथवा प्रथम बार मेडिकल डायरी की आवश्यकता हो तो पूर्व में प्रचलित पूरानी मेडिकल डायरी ही उन्हे निशुल्क उपलब्ध करवा दी जावे। 01 सितम्बर, 2012 से उसे नई मेडिकल डायरी निर्धारित प्रकियानुसार जारी कर दी जावे। 31.12.2012 तक सभी पेशंनर्स को यथा सम्भव नई मेडिकल डायरियां जारी कर दी जावें, इसके पश्चात पूरानी मेडिकल डायरी से निशुल्क दवा उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। नई मेडिकल डायरी जारी करने सम्बन्धी समस्त औपचारिताएं पेशंनर्स के ध्यान में लाने हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जावे। नई मेडिकल डायरियां जारी करने की प्रकिया में पेशंनर्स को असुविधा नहीं हो इस पर विशेष ध्यान रखा जाये, तथा दवा वितरण यथावत जारी रहे यह भी सुनिश्चित किया जाये।

पेंशनर्स की नई मेडिकल डायरी जारी करते समय एवं उक्त डायरी के आधार पर सहकारी उपभोक्ता संघ/भण्डार द्वारा पेंशनर्स को निशुल्क दवाई उपलब्ध कराने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान रखा जावे।

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन डायरी जारी करते वक्त ध्यान देने योग्य बातेः–

1. पेशंनर्स का Databse का प्रिन्ट NIC द्वारा Designed Adhesive Sheet पर लेकर पेंशनर्स मेडिकल डायरी के प्रथम पृष्ट पर चिपका दिया जावे। मेडिकल डायरी में चिपकाये गये उक्त विवरण एवं पेशंनर के संयुक्त फोटोग्राफ को कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद नाम मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाये।
2. नई मेडिकल डायरी जारी करते समय वर्ष 2012–13 में अब तक पुरानी मेडिकल डायरी में अंकित मौद्रिक सीमा एवं हुए व्यय को नई मेडिकल डायरी में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावें पुरानी डायरी के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर निरस्त की गई, एवं नई डायरी जारी कर दी गई हैं की मोहर लगा दी जाये।
3. नई मेडिकल डायरी जारी करते समय कोषालय में संधारित पुराने मेडिकल डायरी रजिस्टर में नई मेडिकल डायरी जारी किये जाने का इन्द्राज किया जाये तथा नई मेडिकल डायरी का अलग से रजिस्टर संधारित किया जाये।
4. पेंशनर्स को नई मेडिकल डायरी जारी करते समय उसकी कीमत नहीं ली जाये अर्थात निशुल्क दी जाय।
5. नई मेडिकल डायरी जारी होने के पश्चात् डायरी के खो जाने की स्थिति में कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी 100/– रूपये डायरी शुल्क लेकर नई डुप्लीकेट मेडिकल डायरी जारी कर सकेंगे इस प्रकार जारी करने से पूर्व सम्बन्धित पेंशनर्स से निम्न आशय का वचन पत्र (अण्डर टेकिंग) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

i) वचन पंत्र की तारीख तक पूर्व में प्राप्त की गई निशुल्क औषधियों की राशि का विवरण। इस प्रकार प्राप्त विवरण का इन्द्राज नई मेडिकल डायरी में किया जायेगा।

ii) मूल मेडिकल डायरी मिल जाने की स्थिति में उक्त डायरी को कोषालय /उपकोषालय में जमा करायेगा।

iii) मूल मेडिकल डायरी एवं डुप्लीकेट डायरी दोनों का निशुल्क औषधियां लेने के प्रयोजनार्थ उपयोग करता पाये जाने पर उक्त पेशंनर को रियायत योजना के अधीन स्थायी रूप से विवर्जित (Debar) कर दिया जायेगा।

6. पेंशनर्स डायरी के सम्बन्ध में रियायत योजना 2009 में दिये गये आवश्यक निर्देशो का कडाई से पालन किया जाये।

सहकारी उपभोक्ता संघ/भण्डार द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

7. उपभोक्ता संघ/भण्डार के अधिकृत सेल्समैन द्वारा अधिकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल डायरी में लिखी दवाईयां देते समय निम्न बाते सुनिश्चित करावे।
   (क) पेंशनर की मेडिकल डायरी के सभी कॉलम पूर्णतया भरे हुए हैं।
   (ख) पेंशनर के यथा स्थान हस्ताक्षर किये गये है।
   (ग) पेंशनर का संयुक्त फोटो मेडिकल डायरी के प्रथम पृष्ठ पर चस्पा किया हुआ है, एवं फोटो कोषाधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित है, एवं कोषाधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पदनाम की मोहर लगी हुई है।
8. अधिकृत दवा विक्रेता राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नेगेटिव लिस्ट में उल्लेखित दवाओ को पेंशनर्स को वितरित नहीं करेगा और अगर नेगेटिव लिस्ट में उल्लेखित दवाईया पेंशनर को वितरित करेगा तो उसका पुनर्भरण नही किया जावेगा।

9. अधिकृत दवा विक्रेता द्वारा दी गई दवाईयों का ब्योरा पेंशनर की मेडिकल डायरी में अंकित किया जावेगा, तथा पूर्व में वितरित की गई दवाईयो की कीमत एवं उसके बिल की कुल राशि को मेडिकल डायरी में इन्द्राज कर सेल्समैन के हस्ताक्षर एवं दुकान की सील लगाकर प्रमाणित किया जायेगा।
10. अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर की डायरी में लिखी गई दवाईया ही पेंशनर को दी जावे। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाईयों के स्थान पर सबस्टीट्यूट दवाईया पेंशनर को देने पर ऐसी दवाईयों का भुगतान देय नहीं होगा।
11. प्रत्येक वर्ष में पहली बार पेंशनर्स को दवाईया प्रदान करते समय पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण –पत्र उसकी मेडिकल डायरी में देखा जावे।
12. कॉनफेड़/भण्डार द्वारा निशुल्क दवा वितरण पश्चात् सम्बन्धित कोषालय में प्रस्तुत बिलों के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई पुनर्भरण योग्य एवं निर्धारित वित्तीय सीमा राशि तक ही दवा दी गई है।
13. पेंशनर्स डायरी के सम्बन्ध में रियायत योजना में दिये गये आवश्यक निर्देशो तथा वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प. .10(3)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 08.11.2011 में दिये गये निर्देशों का कडाई से पालना किया जाये।

भवदीय,

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

क्रमांकः प. 15(2)आर.पी.एम.एफ./2010 4411-50 दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त जिला कलॅक्टर।
4. प्रबंध संचालक कॉनफेड़, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त सचिव वित्त (राजस्व) विभाग सचिवालय जयपुर ।
6. अध्यक्ष राजस्थान पेशंनर्स समाज, जयपुर।
7. अध्यक्ष राजस्थान पेशंनर्स मंच जयपुर।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर